न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 289/2011

ऊनवान

1 श्रीमति लक्ष्मणकंवर पुत्री ऊकार सिंह पत्नि नारायणसिंह राजपूत निवासी बरांटिया हाल मुकाम बीरवाडा जिला अजमेर ।

2 श्रीमति गोविन्दकॅवर पुत्री ऊंकार सिंह राजपूत पत्नि गोविन्दसिंह साकिन बंराटिया हाल राजीयास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

–वादीयागण

बनाम

1 जीवणसिंह पुत्र ऊंकार सिंह राजपूत निवासी बंराटिया तह. हुरडा।

2 गोवर्धन सिंह पिता उंकार सिंह (मृतक के स्थान पर)

2/1 श्रीमति सूरजकॅवर बेवा गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी बंराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा ।

2/2 श्रीमति भंवर कंवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि गिरधर सिंह राजपूत बंराटिया हाल फूलिया कला तहसील शाहपुरा जिला– भीलवाडा।

2/3 भॅवरसिंह पिता स्व. गोवर्धन सिंह राजपूत बंराटिया तहसील हुरडा ।

2/4 प्रकाश कंवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि भॅवर सिंह राजपूत बंराटिया हाल मुकाम दौलतपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।

2/5 श्रीमति राजकंवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि गुमानसिंह राजपूत बंराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा ।

2/6 सम्पत सिंह पिता गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी बंराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा ।

3 गणपतसिंह पिता ऊंकारसिंह राजपूत निवासी बंराटिया तहसील हुरडा हाल मुकाम सांराश तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

4 श्रीमति लाडकॅवर पुत्री ऊंकार सिंह पत्नि भवानी सिंह राजपूत निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

ऊपस्थित :– श्री श्याम लाल त्रिवेद्वी वकील वादी ।
श्री गोपाल लाल वैष्णव **वकील प्रतिवादी ।**

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 व 92ए रा0 टि0 एक्ट

प्रकरण सं.– 289/2012

ऊनवान

1 जीवण सिंह पिता श्री उंकार सिंह राजपूत निवासी बंराठिया, हुरडा।

–वादी

बनाम

1 श्रीमति सूरजकॅवर बेवा गोवरर्धनसिंह राजपूत निवासी बंराठिया ।
2 श्रीमति भॅवरकॅवर पुत्री गोवर्धन सिंह पत्नि रघूनाथ सिंह राजपूत निवासी बडा फूलिया तहसील शाहपुरा
3 भॅवरसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी बंराठिया ।
4 श्रीमति प्रकाश कंवर पुत्री गोवर्धन सिंह, पत्नि भॅवर सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील माण्डगढ जिला भीलवाडा ।
5 श्रीमति राजू कॅवर पुत्री गोवर्धन सिंह, पत्नि गुमान सिंह निवासी पीपली तहसील सुवाडा जिला भीलवाडा ।
6 सम्पत सिंह पिता गोवर्धन सिंह, निवासी बंराठिया, तहसील हुरडा।
7 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार हुरडा।
8 श्रीमति लक्ष्मणकंवर पुत्री ऊकार सिंह पत्नि नारायणसिंह राजपूत निवासी बरांटिया हाल मुकाम बीरवाडा जिला अजमेर ।
9 श्रीमति गोविन्दकॅवर पुत्री ऊंकार सिंह राजपूत पत्नि गोविन्दसिंह साकिन बंराटिया हाल राजीयास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

ऊपस्थित :–श्री कमल कुमार जीनगर वकील वादी ।
श्री श्यामलाल त्रिवेद्वी वकील प्रतिवादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 रा0 टि0 एक्ट

–:निर्णयः–

दिनांक– 27.06.2018

1– वादीगण के द्वारा वाद संख्या– 289/2011 प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या– 5 के अलावा सभी पक्षकारान के पिता श्री ऊंकार सिंह के खाते की कृषिभूमि ग्राम बंराटिया तहसील हुरडा में स्थित है जिसके आराजी नम्बर– 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 329, 345, 346, 347, 348, 2340/304 किता 17 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि है।

2– वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 व प्रतिवादी संख्या– 1, 2, व 3 की सगी बहिने है और ऊंकारसिंह की सगी पुत्रीयॉ है, ऊंकार सिंह का निधन करीब 32 वर्ष पूर्व हो गया। उस समय प्रतिवादी संख्या– 01 से 3 ने प्रतिवादी संख्या– 5 के समक्ष इस तथ्य को छिपाते हुये कि वादीया तथा प्रतिवादी संख्या– 4 भी ऊंकार सिंह की पुत्रीया है। ऊंकारसिंह जी की समस्त कृषि भूमियों का खाता राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम से दर्ज करा लिया। जबकि वादीयान तथा प्रतितवादी संख्या– 01 से 04 सभी ऊंकार सिंह की सन्तानें है, और हिन्दु ऊत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात ऊंकारसिंह की समस्त कृषि भूमि सभी पुत्र पुत्रीयॉ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 से मिलीभगती करके प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष गलत तथ्य बताते हुए

वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 का नाम गलत दर्ज करवा दिया इसलिये वादीयान को प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के विरुद्ध ऊपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के साथ वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को भी सह खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

3– विवादित कृषिभूमि का कब्जा ऊंकारसिंह की मृत्यु के पश्चात ऊनके ऊत्तराधिकारी तथा वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 के सगे भाई होने के कारण प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 का चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के मध्य भी आपस में विवाद है और ऊनके इस विवाद के कारण प्रतिवादी संख्या– 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या– 2 गोवर्धन सिंह के विरुद्व करीब 01 माह पूर्व श्रीमान् के यहॉ एक बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी वादीया को हुई तब वादीया को पता चला कि प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 ने वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को ऊनके हको अधिकारों से वंचित करते हुए ऊंकारसिंह जो कि सभी पक्षकारान के पिता थे ऊनके खाते की जमीनों को हडपने की नियत से स्वयं का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करा लिया है जो विधि विरुद्व व गैर कानूनी है। प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के साथ वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या– 4 अपना स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या– 4 वादीयान के साथ वादपत्र करने हेतु ऊपलब्ध नही होने से ऊसे प्रतिवादीया संख्या– 4 के रुप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

4– वादीयान ऊपर वर्णित अनुसार प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 के साथ प्रतिवादी संख्या– 4 का नाम जोडते हुये ऊपरोक्त वर्णित ऊंकारसिंह के खाते की कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाकर राजस्व रिकार्ड में ऊसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती कराने की अधिकारिणी है इसलिए वादीयान की ओर से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

5– वर्तमान में विवादित कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के पास आधी– आधी है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या– 3 गणपतसिंह सन्यासी हो गये है और वे गरटा बोरडा में बालाजी के मन्दिर पर रहते है तथा ऊन्होने गृहस्त जीवन का त्याग कर दिया है । इस कारण विवादित जमीन प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के कब्जे में आधी आधी जिनका कब्जा भी हक व अधिकार के अनुसार वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 प्राप्त करने की अधिकारिणी है, इसिलये भी कब्जेयाबी हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है।

6– वादीयान को करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या– 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 2 के विरुद्व वाद प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादी संख्या– 2 ने हम वादीयान से सम्पर्क किया और प्रतिवादी संख्या– 1 को समझाने हेतु कहा तब पता चला कि विवादित कृषि भूमि ऊंकार सिंह की है जिसे प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 हडपना चाहते है और अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है और

वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को ऊंकारसिंह के ऊत्तराधिकारी होने का तथ्य प्रतिवादी संख्या– 5 से छिपाते हुए खाता अपने नाम से दर्ज करा लिया तब से यानी ऊक्त जानकारी होने से बाद हेतु पेदा होकर जारी है।

7– अन्त में अंकित किया गया कि ग्राम बंराटिया में स्थित वादपत्र की चरण संख्या– 1 में वर्णित कृषि भूमि का वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के साथ सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के साथ नाम जोडा जावें। विवादित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 का कब्जा होने से हक व हिस्सा के अनुसार भूमि का कब्जा वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को दिलाया जावें। अन्य कोई दादरसी जो वादीयान प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रतिवादी संख्या– 1 2, व 3 से दिलावाई जावे।

8– वादी के द्वारा प्रकरण संख्या– 289/2012 प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी के मौरुस गोवर्धन सिंह के संयुक्त हस्सेयाबी मिलकियत, स्वामित्वशुदा की मौरुसी आराजीयात जिसका विवरण निम्न प्रकार से है– ग्राम ऊर्जा का खेडा, तहसील हुरडा के खाता संख्या– नया 27 पुराना 72 की आराजी नम्बर– 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 329, 345, 346, 347, 348, 2340/304 किता 17 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा में वादी का 2/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर– 1 से 6 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर अपने अपने हक हिस्से में कब्जे काश्त करते चले आ रहे है।

9– खातेदार गोवर्धनसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत के फौत हो जाने के कारण उनके वारिस प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 6 तक को बतौर पक्षकार कायम किया गया है।

10 उक्त आराजीयात मौरुसी होकर पीढी दर पीढी कब्जेकाश्त में चली आ रही है वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित खाता संख्या– 27 में वादी का 2/3 भाग व प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का कब्जाकश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है।

11 कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी व उनके मौरुस की पुश्तैनी होकर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खातेदार गोवर्धन सिंह पुत्र उंकार सिंह की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस खातेदारी हक की घोषणा प्राप्त करते हुए वादी अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग से हिस्सा दर्ज कराने को अधिकृत है और इसके लिए इस बंटवारे की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

12 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा विभाजन नही होने से वादी को ऋण प्राप्त करने एवं अपने हिस्सेयाबी आराजी को तरक्की देने एवं लगान जमा

कराने व सिंचाई इत्यादि में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। यदि हिस्सा विभाजन नही किया गया तो पक्षकारान के मध्य व्यर्थ का विवाद बढेगा तथा मनमुटाव बना रहेगा। चुँकि मौके पर काश्त इत्यादि करने में भी पक्षकारान के द्वारा विवाद किया जाता है तथा बिना विभाजन कराये ही दिगर प्रतिवादी आराजीयात को दिगरान को फरोक्त करने पर आमादा करने पर आमादा रहते है, चुँकि बिना विभाजन कराये आराजीयात दिगरान को फरोक्त कर दी गयी तो वे अच्छी किस्म की भूमि का हस्तान्तरण कर किसी अजनबी खातेदार को कब्जा सम्भला देगें जिससे वादी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा और वादी को इससे असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति की जाना कतई असभव होगा।

13 वादी बंटवारे की प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 के प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वादी ने प्रतिवादी से सहमति के आधार पर हिस्सा विभाजन कराने का मौखिक निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी के द्वारा अयाम गुजारी की जाती रही और बाद में न्यायालय से बंटवारा कराने बाबत कहा गया इसलिए उक्त वादपत्र पेश करने बाबत चाराजोई पेश हुई ।

14 प्रतिवादी ने ऐलानिया धमकी दी है कि वह अच्छी किस्म की जमीन को बिना विभाजन कराये अपना हिस्से को बेचान कर देगें तथा वादी के हिस्से में प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 आये दिन दखलन्दाजी करते है तथा वादी को अपने हिस्से की आराजी को बोने जोतने के लिए दखलन्दाजी करते है जिन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत आवश्यक है क्योंकि यह प्रतिवादी बिना हिस्सा विभाजन कराये आराजीयात का हिस्सा दिगर को बय बैचान बक्षीस कर देगें तो वादी के द्वारा पेशशुदा वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा एवं वादी अपने हक हिस्से की आराजी से महरुम हो जावेगा जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नही है।

15 अन्त में कथन किया कि आराजी मुतदाविया मुन्दर्जे वादपत्र की कलम नम्बर– 1 खातेदार गोवर्धन सिंह पुत्र उंकार सिंह राजपूत के वारिसों को खातेदार घोषित करते हुए उक्त आराजी के लिए लगान कब्जेयाबी हिस्सा व तसरीहन से वादपत्र कलम नम्बर– 3 विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादर फरमाई जावें, बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी उक्त आराजीयात को अन्य किसी को खरीद फरोक्त करने/ कराने, रहन रखने से रुके रहने एवं वादी के हिस्से की आराजी को बोने, जोतने की दखलन्दाजी न करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे एवं इस हेतु स्वयं एवं नौकर चाकर तथा एजेण्ट इत्यादि के मार्फत किसी प्रकार की दखलन्दाजी कराने करने की कार्यवाही से रुके रहें। माफिक डिक्री अनुसार प्रतिवादी संख्या– 7 को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में जुदागाना खातेदारी एवं लगान की तसरीह के साथ राजस्व रिकार्ड में उचित अमल दरामद करें। तथा वाद हर्जा – खर्चा मय वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावें एवं अन्य दाद जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे वादी को प्रदान करया जावे।

चुँकि उक्त दोनो वादपत्र मृतक खातेदार उंकार सिंह की आराजीयात को लेकर उनके वारिसान के द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिनमें वादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान समान होने से पूर्ववर्ती प्रकरण के साथ पश्चावर्ती संख्या– 289/2012 समायोचित किया गया है ।

16 प्रकरण संख्या– 289/2011 बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 की और से दिनांक 19.12.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 2 के वारिसान की और से इकबालिया जवाबदावा दिनांक 03.09.2012 को श्री फिरोज खान एडवोकेट की पहचान से प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 3 व 4 की और से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी संख्या– 5 पैरोकारराज के द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

17 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक– 28.10.2013 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया वादी वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात ऊंकार सिंह के खातेदारी कब्जेकाश्त की है।	वादी
तनकी नं.2	आया खातेदार ऊंकार सिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 ने अपने नाम पर खुलवा लिया।	वादी
तनकी नं.3	आया वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 मृतक खातेदार ऊंकार सिंह की पुत्रीयॉ होने से वह वादग्रस्त भूमि में समान हक हिस्से से हक घोषणा करवाने के अधिकारी है।	वादी
तनकी नं.4	आया मृतक खातेदार का पुत्र गणपत सिंह सन्यासी हो गया है तथा ऊसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है।	वादी
तनकी नं.5	आया जवाबदावा की कलम नम्बर–9 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	प्रति सं.1
तनकी नं.6	अनुतोष	

18 वादीगण ने अपने वादपत्र की ताहिद में पी.डब्लू. –1 गोविन्द कॅवर के बयान करवाये गये, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–1 नामान्तकरण की नकल ई.एक्स.पी–2 उंकार सिंह के खाते की नकल, ई.एक्स.पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2057– 2060 को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई।

19 प्रतिवादी की और से डी.डब्लू–1 जीवण सिंह के बयान करवाये गये, अन्य कोई गवाह अथवा दस्तोवजी साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी स्टेज बन्द की गई।

20 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट बंराटिया पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण 01 से 04 के पिता उंकार सिंह के खाते व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 की सगी बहिने होकर उंकार सिंह की पुत्रीयों है। उंकार सिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने विरासत से उंकार सिंह की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा लिया, जबकि वादीगण के नाम भी समान हक हिस्से से खाता खुलना चाहिये था। अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या– 4 को उनके हको से वंछित करते हुये, तथा उंकार सिंह की जमीनों को हडपनें की नियत से अपने नाम दर्ज करा लिया जो विधि विरुद्ध होने से प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के साथ वादीयान व प्रतिवादी संख्या– 4 अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारिणी होने से दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

21 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि खातेदार उंकार सिंह ने अपने जीवनकाल में वादीगण को अपनी हैसियत से ज्यादा देकर उनके वारिसान के हक को महत्व देते हुये अपने पास से नकदी जैवरात का विभाजन कर दिया था, तथा उसी समय यह तय पाया गया कि भविष्य में लक्ष्मण कॅवर, गोविन्द कॅवर, लाड कॅवर तीनों ही उंकार सिंह की चल अचल सम्पति में किसी प्रकार के हक हिस्से की अधिकारिणी नही होगी, अन्त में कथन किया कि वादीगण ने वाद आधार बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश किया जो खारिज योग्य है।

22 प्रकरण संख्या– 289/2012 के सम्बन्ध में वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादी के मौरुस गोवर्धन सिंह की संयुक्त खातेदारी की मौरुसी आराजीयात है, जिसमें वादी का 2/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी 1 से 6 का 1/3 हिस्सा निहित होकर अपने अपने हक हिस्से से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी व उनके मोरुस की पुश्तैनी होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, खातेदार गोवर्धन सिंह की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसों के नाम हक घोषणा की जाकर वादी अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता दर्ज कराने का अधिकारी है। अन्त में कथन किया कि खातेदार गोवर्धन सिंह के वारिसों को खातेदार घोषित करा आराजीयात का हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन फरमाया जावें।

23 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि विवादित आराजीयात उंकार सिंह के खातेदारी की थी, उंकार सिंह के स्वर्गवास के बाद विरासत से उनके तिनों पुत्र गोवर्धन सिंह, गणपतसिंह, जीवणसिंह के नाम दर्ज हुई, जबकि उंकार सिंह की पुत्रीयॉ लक्ष्मण कॅवर, लाडकॅवर व गोविन्द कॅवर, नामान्तकरण के दिन जीवित थी, तथा उत्तराधिकार का हक रखती थी, ,खातेदार उंकार सिंह के तीन पुत्र गोवर्धन सिंह,

गणपतसिंह एवं जीवणसिंह है जिनमें से गोवर्धन सिंह व गणपत सिंह फौत हो चूके है। खातेदार गणपत सिंह लाऔलाद फौत हो चूके है इसलिये वादग्रस्त आराजी में लक्ष्मण कॅवर, लाडकॅवर व गोविन्द कॅवर का 1/5, 1/5 हक हिस्सा होने से वह घोषणा करवाने के अधिकारी है। वकील प्रतिवादी का बहस में यह भी कथन था कि राजस्थान काश्तकारी कानून एक विशिष्ठ कानून है, जिसमें रिलिज डीड का कोई प्रावधान नही है और न ही खातेदार को हक त्याग करने का अधिकार है, इसलिये नामान्तकरण संख्या– 787 दिनांक 05.09.2001 विधि विरुद्ध होकर प्रतिवादीगण के मुकाबले में बेअसर है, शून्य प्रभावी है। अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में खातेदारों के साथ गोविन्द कॅवर, लक्ष्मण कॅवर, लाडकॅवर, को 1/5, 1/5 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जाकर हक हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन फरमाया जावें।

24 जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी 1 से 6 का तथा बकाया भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उंकार सिंह की तीनों पुत्रीयों का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा व न है इसलिये उक्त तीनों पुत्रीयों किसी भी प्रकार से घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी नही है, इसलिये प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया का हक हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन फरमाया जावें ।

25 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

26 **<u>तनकी नम्बर– 1 व 2</u>** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर होने एवं यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन दोनो तनकीयों के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी–1, ई.एक्स.पी–2 को प्रदर्श करवाया गया, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–2 जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 मौजा बंराटिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 329, 345, 346, 347, 348, 2340/304 किता 17 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि उंकार सिंह वल्द भूर सिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा ई.एक्स.पी–2 नामान्तकरण संख्या– 139 से उंकार सिंह के बजाय गोवर्धन, गणपतसिंह, जीवणसिंह पुत्र उंकार सिंह का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है, तद्नुसार इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

27 **<u>तनकी नम्बर– 3</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। यहॉ यह निर्विवाद है कि मृतक खातेदार उंकार सिंह के तीन पुत्र क्रमशः गणपत सिंह , गोवर्धन सिंह, जीवण सिंह तथा तीन पुत्रीयॉ

लाडकॅवर, लक्ष्मण कॅवर व गोविन्द कॅवर है, खातेदार उंकार सिंह की विरासत का जो ई.एक्स.पी–2 नामान्तकरण संख्या– 139 खोला गया है वह मृतक खातेदार के तीनों पुत्रीयों के नाम ही निर्णित किया गया है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय की धारा– 8 में दिये गये प्रावधानानुसार पिता की सम्पति में पुत्रीयों का भी समान हक हिस्सा माना गया है, तद्नुसार मृतक खातेदार उंकार सिंह की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 समान हक हिस्से से हक घोषणा करवाने की अधिकारिणी पाये जाने से इन तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

28 **तनकी नम्बर– 4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में वादीगण का कथन है कि उंकार सिंह का पुत्र गणपत सिंह सन्यासी हो गया है, तथा उसने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, इसलिये गणपतसिंह के हक हिस्से की भूमि पॉचों भाई बहिनों में दी जावें। किन्तु अपने कथनों की पृष्टि मे उनके द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है, जो यह प्रकट करे की खातेदार गणपत सिंह साधू संत बन गया हो, और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया हो। गणपत सिंह के द्वारा गृहस्थ जीवन का त्याग कर देने मात्र से उसे, उसके हक हकूकों से वंछित नही किया जा सकता। किन्तु वादीया के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 मौजा बंराटिया के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार गणपतसिंह के द्वारा जीवण सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड रीलिज डीड का निष्पादन कराने से नामान्तकरण संख्या– 787 दिनांक 05.09.2001 से गणपतसिंह पिता उंकार सिंह के बजाय जीवण सिंह पिता उंकार सिंह का नाम दर्ज रिकार्ड होना अवश्य प्रकट हुआ है। चुॅकि यहॉ वादीगण का हक हिस्से का निर्धारण उनके पिता उंकार सिंह की भूमि में से किया जाना है न कि गणपतसिंह के हक हिस्से की भूमि में तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

29 **तनकी नम्बर– 5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या– 1 का कथन है कि वादीगण ने वादपत्र में वाद हेतुक कब उत्पन्न हुआ, अपने वाद पत्र में अंकित नही किया है, जिससे वाद खारिज किया जाने योग्य है। प्रतिवादी का उक्त कथन गलत व बनावटी प्रतीत हुआ है, क्योंकि वादीगण ने अपने वादपत्र की कलम नम्बर– 6 में वाद हेतुक उत्पन्न होने का सम्पूर्ण उल्लेख किया है, तद्नुसार इस तनकी का निणर्य प्रतिवादी संख्या–1 के विरुद्ध किया जाता है।

30 **तनकी नम्बर– 6** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि उंकार सिंह पुत्र भूर सिंह राजपूत के समय की है, प्रकरण में यह भी निर्विवाद है कि उंकार सिंह के तीन पुत्र व तीन पुत्रीयों है। मृतक खातेदार उंकार सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या–139 दिनांक 27.10.1977 को निर्णित किया है, वह उंकार सिंह

के तीनों पुत्रों के नाम ही निर्णित किया गया है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा– 8 के प्रावधानानुसार मृतक की पुत्रीयों के नाम भी समान हक हिस्से से खुलना चाहिये था, तद्नुसार मृतक खातेदार उंकार सिंह की वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 4 समान हक 1/6, 1/6 हक हिस्से से हक घोषणा करवाने की अधिकारिणी पाये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर मौजा बंराटिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 328, 329, 345, 346, 347, 348, 2340/304 किता 17 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीया श्रीमति लक्ष्मण कॅवर, गोविन्द कॅवर व प्रतिवादी संख्या– 4 श्रीमति लाडकॅवर, पुत्रीयॉ उंकार सिंह को 1/6, 1/6 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तथा उक्त आराजीयात के खातेदारों काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । इस आशय की तहरीर तहसीलदार हुरडा को जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पश्चातवर्ती प्रकरण संख्या– 289/2012 में संलग्न की जावें। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बंराटिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)